राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक : प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 18.05.2021

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषयः– सोशल डिस्टेसिंग (सामाजिक दूरी) की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

जैसा कि विदित है कि कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु दो गज की दूरी सोशल डिस्टेसिंग (सामाजिक दूरी) की पालना अति आवश्यक है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड वेक्सीनेशन, चिकित्सकों/नर्सिंग/पैरा मेडिकल स्टाफ की यूटीबी भर्ती तथा सीएचओ भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन/नियुक्ति दिये जाने में सामाजिक दूरी/सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं की जा रही है।

अतः आप अपने जिले में जिला पुलिस अधीक्षक से आवश्यक सहयोग लेते हुए कोविड वेक्सीनेशन स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग (सामाजिक दूरी) की पालना सुनिश्चित करावें। साथ ही चिकित्सकों/नर्सिंग/पैरा मेडिकल स्टाफ की यूटीबी भर्ती तथा सीएचओ भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन/नियुक्ति दिये जाने का कार्य ऐसे स्कूलों/कॉलेजों में किया जावे एवं जिला पुलिस अधीक्षक से आवश्यक सहयोग लेते हुए सामाजिक दूरी की पालना करवाई जावे।

18/5/21
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. समस्त जिला कलक्टर, राज.
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राज.
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
8. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव